

18/20

पत्रावली पेश हुई। वकील वाड़ी द्वारा कोर्ट
के बाद भी ललकी नहीं कराई है। अतः
वकील वाड़ी का दावा इसी स्टेप पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फिलाल थूफा
लेकर बाद ललकील दफतर दाखिल
की जावे।

जिला कलेक्टर ।
न (जिला-सोनीग)

